

न्यायालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रवि जैन
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 132/2019

फुलाराम सैनी पुत्र भंवरलाल सैनी, मोतीसिंह की ढाणी, जांगिड मंगल भवन के पास, वार्ड न0 41, झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनू।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 26.08.2019

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31.07.2019 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 132/2019 पर दिनांक 31.07.2019 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2019 /1196-97 दिनांक 07.08.2019 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनू ने पत्रांक एफ. 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2019 /2708 दिनांक 26.08.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 178 दिनांक 27.06.2019 द्वारा प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग को प्रेषित किया गया था। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग द्वारा अपीलार्थी को उनके पत्रांक 2703-05 दिनांक 01.08.2019 को सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलेक्टर) झुंझुनू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई उनके कार्यालय द्वारा सूचना प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग से संबंधित होने के कारण उनके कार्यालय के पत्रांक 178 दिनांक 27.06.2019 द्वारा प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग को प्रेषित किया गया था। प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग द्वारा अपीलार्थी को उनके पत्रांक 2703-05 दिनांक 01.08.2019 को सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि जैन)
जिला कलेक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुंझुनू